बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय,बिहार,पटना।

पत्रांक................ पटना, दिनांक.................

सं0सं0–03/उ0नि0(औ.बिजधन विविध)–02/12

प्रेषक :–

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
सभी जिला उद्योग केन्द्र, बिहार।

विषय :– **वित्तलेखे में शीर्ष 6851 ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज, 101 औद्योगिक क्षेत्र, 0001– बिहार राज्य औद्योगिक सहायता अधिनियम के अंतर्गत उद्योगों और कम्पनियों को कर्ज के अंतर्गत प्रदर्शित हो रहे ऋणात्मक शेष के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक 1747 दिनांक 25.04.17**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 1747 दिनांक 25.04.17 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा महालेखाकार (ले0एवं ह0) कार्यालय की आपति वित्तलेखे में शीर्ष 6851 ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज, 101 औद्योगिक क्षेत्र, 0001– बिहार राज्य औद्योगिक सहायता अधिनियम के अंतर्गत उद्योगों और कम्पनियों को कर्ज के अंतर्गत प्रदर्शित हो रहे ऋणात्मक शेष के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

महालेखाकार कार्यालय द्वारा यह स्पष्ट करने का निदेश दिया गया है कि उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत कुल कितना ऋण किस वर्ष लिया गया था एवं वर्षवार कितना रूपये का पुनर्भुगतान किया जा चुका है एवं कितना शेष है ताकि वित्तलेखे मे प्रदर्शित ऋण शेष को सुधारा जा सके।

अतः अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र मे वांछित सूचना यथाशीध्र उपलब्ध कराया जाय। ताकि वांछित सूचना विभाग को उपलब्ध कराया जा सकें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

अनु0:–यथाउपरोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
उद्योग निदेशक
बिहार,पटना।

ज्ञापांक 860 / पटना, दिनांक 1.3.18

प्रतिलिपि :– उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आई0टी0प्रबंधक, उद्योग विभाग, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार,पटना।

RANJAN KUMAR(SATISH SIR)566

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

JDI(RIL) पत्रांकः– 1747
01/स0(विविध)–15/2011

पटना/दिनांकः– 25/04/2017

प्रेषक

उप उद्योग निदेशक,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।
उप सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
प्रशाखा–6(स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना।

27 APR 2017

विषयः– वित्त लेखे में शीर्ष **6851** ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिये कर्ज 101–औद्योगिक क्षेत्र, 0001–बिहार राज्य औद्योगिक सहायता अधिनियम के अंतर्गत उद्योगों एवं कंपनियों को कर्ज के अंतर्गत प्रदर्शित हो रहे ऋणात्मक शेष के संबंध में।

प्रसंगः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक–लोन (2016–17)/198 दिनांक 31.03.2017।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा प्रेषित पत्र (प्रति संलग्न) के संदर्भ में कहना है कि बिहार राज्य औद्योगिक सहायता अधिनियम के अंतर्गत उद्योगों एवं कंपनियों को वर्ष 2003–04 से 2015–16 तक उपलब्ध कराये गये कर्ज के अंतर्गत प्रदर्शित हो रहे ऋणात्मक शेष के संबंध में माँगी गयी वाँछित सूचनाएँ/प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

25/4/17

उप उद्योग निदेशक,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No.

Dated

सेवा में,

सरकार के विशेष सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

विषय :- वित्तलेखे में शीर्ष 6851 ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज, 101 औद्योगिक क्षेत्र, 0001 - बिहार राज्य औद्योगिक सहायता अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगों और कम्पनियों को कर्ज के अन्तर्गत प्रदर्शित हो रहे ऋणात्मक शेष के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि वर्ष 2003-04 में उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत प्रारंभिक शेष 242 हजार रूपये था जबकि आपके द्वारा वर्ष 2003-04 में 903 हजार रूपये, वर्ष 2004-05 में 675 हजार रूपये, वर्ष 2005-06 में 1429 हजार रूपये, वर्ष 2006-07 में 1806 हजार रूपये, वर्ष 2007-08 में 329 हजार रूपये, वर्ष 2008-09 में 65 हजार रूपये, वर्ष 2009-10 में 3546 हजार रूपये, वर्ष 2010-11 में 446 हजार रूपये, वर्ष 2011-12 में 69 हजार रूपये, वर्ष 2012-13 में 113 हजार रूपये, वर्ष 2013-14 में 2684 हजार रूपये, वर्ष 2014-15 में 497 हजार रूपये, एवं वर्ष 2015-16 में 611 हजार रूपये का पुनर्भुगतान किया गया है जो कि वित्तलेखे में प्रदर्शित है।

आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय को यह स्पष्ट किया जाए कि उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत कुल कितना ऋण किस वर्ष लिया गया था एवं वर्षवार कितना रूपये का पुनर्भुगतान किया जा चुका है एवं कितना शेष है ताकि वित्तलेखे में प्रदर्शित हो रहे ऋणात्मक शेष को सुधारा जा सके।

भवदीय

वरीय लेखा अधिकारी/लोन,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - लोन (2016-17)-155
दिनांक - 31-03-17

प्रतिलिपि :-
व०ले०अ०
विनियोग अनुभाग को
सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक लेखा अधिकारी।

बिहित प्रपत्र में

शीर्ष– वित्तलेखे में शीर्ष 6851 ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज, 101 औद्योगिक क्षेत्र, 0001–

बिहार राज्य औद्योगिक सहायता अधिनियम के अंतर्गत उद्योगों और कम्पनियों को कर्ज

जिला उद्योग केन्द्र का नाम :–

(राशि लाख में)

क्र0	वित्तीय वर्ष	उपर्युक्त शीर्ष का कुल मांग / अंतशेष राशि	उद्यमियों द्वारा वापस की गई राशि	कोषागार में जमा की गई राशि	उद्यमियों का विवरण	राशि किस शीर्ष में जमा की गई	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

महाप्रबंधक का हस्ताक्षर,

RANJAN KUMAR\SATISH SIR\566